

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 985 सन 2021

अनवान :-

1. जगदीपसिंह पुत्र गुरुसेवक सिंह जाति जटसिख निवासी चक 22 एनटीआर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. गुरमीतसिंह पुत्र गुरुमुख सिंह जाति जटसिख निवासी चक 22 एनटीआर तहसील नोहर।

वादीगण

बनाम

1. गुरुचरणसिंह पुत्र श्रवणसिंह जाति जटसिख निवासी चक 22 एनटीआर तहसील नोहर।
2. गुरुमुख सिंह पुत्र गुरुचरणसिंह जाति जटसिख निवासी चक 22 एनटीआर तहसील नोहर।
3. गुरुसेवक सिंह पुत्र गुरुचरणसिंह जाति जटसिख निवासी चक 22 एनटीआर तहसील नोहर।
4. कलवन्त पुत्र श्रवणसिंह जाति जटसिख निवासी चक 22 एनटीआर तहसील नोहर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 25.10.2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा चक 22 एनटीआर के खाता संख्या 26/25 की कुल 2.5300हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा श्रवणसिंह पुत्र मंहगासिंह के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा श्रवणसिंह पुत्र मंहगासिंह के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा श्रवणसिंह पुत्र मंहगासिंह के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पत्ति है जिसमें सजरा खानदान अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है तथा प्रतिवादी संख्या 4 जो वादीगण का चाचा है ने बाहमी बटवारा में अपने हक हिस्सा की भूमि में से आधा बीधा भूमि सिचाई सुविधा के लिये दी हुई जिसे वादीगण अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रशासन गांव के संग अभियान में प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाने के उपरान्त प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 जरिये अधिवक्ता उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता श्रवणसिंह पुत्र मंहगासिंह के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का बराबर का हक हिस्सा है प्रतिवादी संख्या 4 ने निवेदन किया की वादीगण प्रतिवादी संख्या 4 में मध्य परिवारिक समझौता में सिचाई सुविधा के लिये आधा बीधा भूमि वादीगण को दी हुई है जो वादीगण के कब्जा काश्त में है जिसे वादीगण के नाम दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है। व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाल दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं मजमें आम की सहमति/जानकारी के आधार पर वाद का निस्तारण फरमावे।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल/आपसी सहमति मजमे आम में होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं रही।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान - वर्ष -2021 कैम्प कोर्ट में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में उभयपक्षों की सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद को प्रतिवादी

संख्या 1 ता 4 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल/सहमति पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है तथा अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायाधिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद न्यायाधिक दृष्टान्तों एवं आपसी सहमति /मजमे आम की सहमति /जानकारी के आधार पर वाद वादी डिक्री फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षों को सुना पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 7 जेएसएन के खाता संख्या 63/106 की कुल 6.7420हैक् एवं रोही मौजा 2 जेएसएन के खाता संख्या 63/98 की कुल 0.3290हैक् मं से 1/3 हिस्सा यानी 0.109हैक् व रोही मौजा चक 1 जेएसएन के खाता संख्या 106/198की कुल 6.5400हैक् मं से 1/3 हिस्सा यानी 2.180हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

जमाबन्दी सम्वत 2029 से 2038 भु0प्रबन्ध विभाग के अनुसार वाद भूमि श्रवणसिंह पुत्र मंहगासिंह के नाम से दर्ज थी अर्थात वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा श्रवणसिंह पुत्र मंहगासिंह के नाम से दर्ज है वादी के दादा श्रवणसिंह पुत्र मंहगासिंह के देहान्त होने के वाद विरास्तन से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है विरास्तन से भूमि वादी के पिता के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति होना साबित है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6, 8 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी का हक हिस्सा है अर्थात दादा की सम्पति में पौते/पौतियों को बराबर का हक हिस्सा होगा। अर्थात वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 4 ने परिवारिक समझौता के अनुसार प्रतिवादी संख्या 4 ने सिचाइ सुविधा के लिये आधा बीधा भूमि दी हुई है जिसे अपने नाम दर्ज करवाने के अधिकारी है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 4 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है।


वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं परोकार राज का किसी प्रकार का ऐतराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि वादी संख्या 1 रोही मौजा चक 22 एनटीआर के खाता संख्या 26/ 25 के प0न0 340/423(64) के किला न0 21 ,22/0.5060, प0न0 341/420(39) किला न0 16/1 की 0.1140हैक् दक्षिण साईड व किला न0 22/1 की 0.0250हैक् गै0मु0खाला 22/2 की 0.2280हैक् व किला न0 23/1 की 0.06325हैक् व प0न0 339/419(34) के किला न0 22/1 की 0.08433हैक् दक्षिणी तरफ की रहेगी।

वादी संख्या 2 के पास रोही मौजा चक 22 एनटीआर के खाता संख्या 26/25 के प0न0 340/423(64) के किला न0 19 ,20/0.5060हैक् , 23/0.2530हैक् प0न0 340/424(73) के किला न0 3/0.2530हैक् प0न0 341/420(39) के किला न0 23/0.18975हैक् 24/0.2530हैक् प0न0 339/419(34) के किला न0 12/1 की 0.04267हैक् एवं रोही मौजा चक 22 एनटीआर के खाता संख्या 16/15 के प0न0 339/419 (34) के किला न0 12/2 की 0.04167हैक् दक्षिणी तरफ की रहेगी।

प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पास रोही मौजा चक 22 एनटीआर के खाता संख्या 22/21 की कुल 3.0360हैक् हिस्सा यथावत रहेगा प्रतिवादी संख्या 4 के पास रोही मौजा चक 22 एनटीआर के खाता संख्या 16/15 के प0न0 339/419(34) के किला न0 12/2 की 0.08434हैक् भूमि रहेगी शेष खाता यथावत रहेगा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25.10.2021 को प्रशासन गांव कें संग अभियान वर्ष - 2021 मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नाहर (हुनमानगढ़)

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष- 2021
कैम्प कोर्ट...22 एनटीआर.

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ला दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. जगदीपसिंह पुत्र गुरुसेवक सिंह जाति जटसिख निवासी चक 22 एनटीआर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. गुरमीतसिंह पुत्र गुरुमुख सिंह जाति जटसिख निवासी चक 22 एनटीआर तहसील नोहर।

वादीगण

बनाम

- 1 गुरुचरणसिंह पुत्र श्रवणसिंह जाति जटसिख निवासी चक 22 एनटीआर तहसील नोहर।
- 2 गुरुमुख सिंह पुत्र गुरुचरणसिंह जाति जटसिख निवासी चक 22 एनटीआर तहसील नोहर।
- 3 गुरुसेवक सिंह पुत्र गुरुचरणसिंह जाति जटसिख निवासी चक 22 एनटीआर तहसील नोहर।
- 4 कलवन्त पुत्र श्रवणसिंह जाति जटसिख निवासी चक 22 एनटीआर तहसील नोहर।
- 5 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 985 सन 2021 निर्णय दिनांक-25.10.2021

आज यह वाद प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021 कैम्प कोर्ट में मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि वादी संख्या 1 रोही मौजा चक 22 एनटीआर के खाता संख्या 26/ 25 के प0न0 340/423(64) के किला न0 21 ,22/0.5060, प0न0 341/420(39) किला न0 16/1 की 0.1140हैक् दक्षिण साईड व किला न0 22/1 की 0.0250हैक् गै0मु0खाला 22/2 की 0.2280हैक् व किला न0 23/1 की 0.06325हैक् व प0न0 339/419(34) के किला न0 22/1 की 0.08433हैक् दक्षिणी तरफ की रहेगी ।

वादी संख्या 2 के पास रोही मौजा चक 22 एनटीआर के खाता संख्या 26/25 के प0न0 340/423(64) के किला न0 19 ,20/0.5060हैक् , 23/0.2530हैक् प0न0 340/424(73) के किला न0 3/0.2530हैक् प0न0 341/420(39) के किला न0 23/0.18975हैक् 24/0.2530हैक् प0न0 339/419(34) के किला न0 12/1 की 0.04267हैक् एवं रोही मौजा चक 22 एनटीआर के खाता संख्या 16/15 के प0न0 339/419 (34) के किला न0 12/2 की 0.04167हैक् दक्षिणी तरफ की रहेगी ।

प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पास रोही मौजा चक 22 एनटीआर के खाता संख्या 22/21 की कुल 3.0360हैक् हिस्सा यथावत रहेगा प्रतिवादी संख्या 4 के पास रोही मौजा चक 22 एनटीआर के खाता संख्या 16/15 के प0न0 339/419(34) के किला न0 12/2 की 0.08434हैक् भूमि रहेगी शेष खाता यथावत रहेगा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे ।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 25.10.2021को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

नोहर (हनुमानगढ)

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष- 2021
कैम्प कोर्ट....22 एनटीआर.